भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
07.08.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2346 का उत्तर

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा सुविधाओं का उन्नयन

2346. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर यात्री रेलगाड़ियों, मालगाड़ियों तथा स्टेशन परिसरों में आग लगने की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्नि सुरक्षा अवसंरचना के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखती है;

(ख) महाराष्ट्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, जिसमें हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन भी शामिल है, पर उपलब्ध अग्नि पहचान, दमन, निकासी प्रणालियों, अग्निशमन उपकरणों तथा प्रशिक्षित आपातकालीन प्रतिक्रिया कर्मियों का ब्यौरा क्या है; और

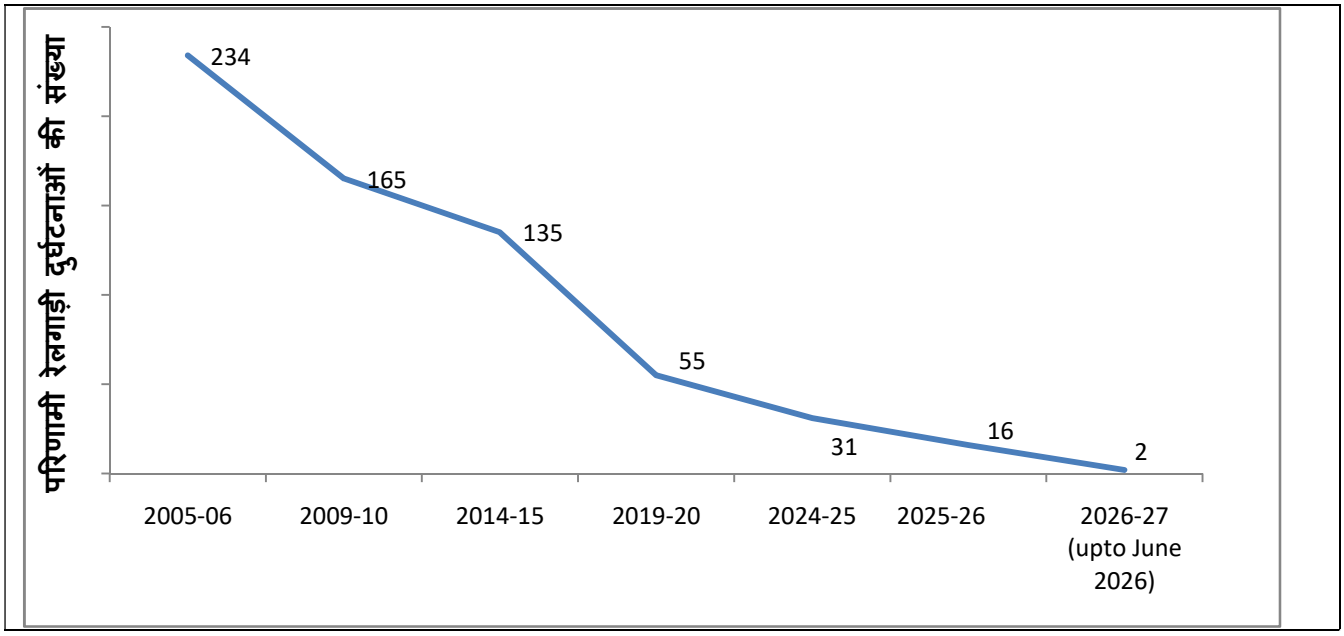
(ग) क्या तख्त श्री हजूर साहिब में वर्षभर होने वाले भारी तीर्थयात्रियों की आवाजाही को देखते हुए, सरकार हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर अग्नि सुरक्षा तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ एवं उन्नत करने का विचार रखती है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है।



परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	**परिणामी दुर्घटनाएं**
2014-15	135
2025-26	16 (88% की कमी)
2026-27 (जून 2026 तक)	2

रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार दर्शाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक परिणामी दुर्घटना सूचकांक है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परिणामी दुर्घटना सूचकांक:-

वर्ष	**दुर्घटना सूचकांक**
2014-15	0.11
2025-26	0.01 (91% की कमी)

यह सूचकांक सभी रेलगाड़ियों के कुल चालन किलोमीटर के अनुपात के रूप में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या को मापता है।

$$\text{दुर्घटना सूचकांक} = \frac{\text{परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या}}{\text{रेलगाड़ियों की संख्या x मिलियन किलोमीटर चालन}}$$

रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा संवर्धन के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. भारतीय रेल में पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा संबंधी कार्यकलापों पर व्यय बढ़ाया गया है, जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	**संरक्षा संबंधी कार्यकलापों पर व्यय/बजट (करोड़ रु. में)**
2013-14	39,200
2022-23	87,336
2023-24	1,01,662
2024-25	1,14,022
2025-26	1,17,693
2026-27	1,20,389

2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार 6,671 रेलवे स्टेशनों पर कांटों एवं सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
3. समपार रेलफाटकों पर संरक्षा का संवर्धन करने के लिए, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार 10,395 समपार रेलफाटकों पर अंतर्पाशन की व्यवस्था की गई है।
4. संरक्षा का संवर्धन करने के लिए 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार 6,671 रेलवे स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन द्वारा रेलवे स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।

5. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे अनिवार्य समरूपता जांच, परिवर्तन कार्य प्रोटोकॉल, समापन आरेखण तैयार करने आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
6. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है।
7. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेलइंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।
8. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाते हैं, जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो शिरोपरि उपस्कर मास्ट से पहले मौजूद होते हैं ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर चालक दल को आगे मौजूद सिगनल के बारे में सचेत किया जा सके।
9. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) उपलब्ध कराया जाता है जो लोको पायलटों को अगले थलचिह्नों यथा सिगनलों, समपार रेलफाटकों आदि की दूरी जानने में समर्थ बनाते हैं।
10. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय आधुनिक रेलपथ संरचना इस्तेमाल की जा रही है जिसमें 60 किलोग्राम, 90 चरम तन्य सामर्थ्य पटरियां, लचीले जुड़नारों के साथ प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) सामान्य/चौड़ा आधार स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर पंखानुमा विन्यास के टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर शामिल हैं।
11. मानवीय त्रुटियों का न्यूनीकरण करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग द्वारा रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।
12. रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और जोड़ों के वेल्डन से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना, जिसके द्वारा संरक्षा में सुधार होता है।
13. दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए पटरियों का पराश्रव्य दोष संसूचन परीक्षण (यूएसएफडी) करना।
14. लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डन के उपयोग को कम करना और पटरियों के लिए बेहतर वेल्डन तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डन को अपनाना।
15. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ अभिलेखी यानों) द्वारा रेलपथ ज्यामिति की निगरानी।
16. वेल्डन/पटरियों की दरारों का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर गश्त लगाना।
17. टर्नआउट नवीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्डन योग्य सीएमएस पारणों का उपयोग।
18. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों की निगरानी और जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण किए जाते हैं।
19. रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अर्थात युक्तिसंगत अनुरक्षण आवश्यकता का निर्णय लेने और साधन-सामग्री को इष्टतम बनाने के लिए रेलपथ डेटाबेस और निर्णय सहायता प्रणाली को अपनाया गया है।
20. रेलपथ की संरक्षा संबंधी मुद्दों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्यस्थल संरक्षा, मानसून पूर्वोपाय आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
21. रेलगाड़ियों का संरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों) का निवारक अनुरक्षण किया जाता है।

22. पारंपरिक सडिका डिजाइन के रेल डिब्बों को एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बों से बदला जा रहा है।
23. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त कर दिया गया है।
24. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान आंकी गई स्थिति के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।
25. भारतीय रेल में सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "आग संबंधी चेतावनियां" प्रदर्शित की गई हैं। प्रत्येक सवारी डिब्बे में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग लगने पर रोकथाम के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में शिक्षित और सचेत किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को नहीं ले जाने, धूम्रपान नहीं करने, जुर्माना आदि से संबंधित संदेश शामिल हैं।
26. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और रसोई यानों में आग संसूचन एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धूम्र संसूचन प्रणाली उपलब्ध करा रही हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा सवारी डिब्बों में चरणबद्ध विधि से उत्तरोत्तर फिटमेंट किया रहा है।
27. कर्मचारियों को नियमित परामर्श और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
28. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम में चलायमान ब्लॉक प्रत्यय की शुरूआत की गई थी, जिसमें चलायमान आधार पर अग्रिम में 52 सप्ताह तक परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/ प्रतिस्थापन के कार्य की योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलवे द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण पद्धतियों, प्रौद्योगिकीय सुधारों, बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक आदि के संबंध में संरक्षा संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

क्र. सं.	**मद**	**2004-05 से 2013-14**	**2014-15 से 2025-26**	**2004-14 की तुलना में 2014-26**
प्रौद्योगिकीय सुधार				
1.	उच्च-गुणवत्ता वाली पटरियों का उपयोग (60 कि.ग्रा.) (किलोमीटर)	57,450 किलोमीटर	1.63 लाख किलोमीटर	2.8 गुना से अधिक
2.	लंबे रेल पैनल (260 मीटर) (किलोमीटर)	9,917 किलोमीटर	87,219 किलोमीटर	लगभग 9 गुना
3.	इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन (स्टेशन)	837 स्टेशन	3,691 स्टेशन	4 गुना से अधिक
4.	फॉग पास संरक्षा उपकरण (अदद)	31.03.14 तक 90 अदद	31.03.26 तक 31,693 अदद	352 गुना
5.	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	35,971 अदद	

बेहतर अनुरक्षण पद्धतियां				
1.	प्राथमिक रेल नवीकरण (रेलपथ किलोमीटर)	32,260 किलोमीटर	57,583 किलोमीटर	1.78 गुना
2.	यूएसएफडी (पराश्रव्य दोष संसूचन) वेल्डन परीक्षण (अदद)	79.43 लाख	2.25 करोड़	2.8 गुना से अधिक
3.	वेल्डन की खराबियां (अदद)	2013-14 में: 3699 अदद	2025-26 में: 272 अदद	93% की कमी
4.	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548 अदद	2025-26 में: 208 अदद	92% की कमी
बेहतर अवसंचना और चल स्टॉक				
1.	जोड़े गए नए रेलपथ किलोमीटर (रेलपथ किलोमीटर)	14,985 किलोमीटर	36,429 किलोमीटर	लगभग 2.5 गुना
2.	फ्लाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद)	4,148 अदद	14,362 अदद	3 गुना से अधिक
3.	बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाले समपार (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.26 तक: शून्य (31.01.19 तक सभी समाप्त कर दिए गए)	समाप्त कर दिए गए
4.	एलएचबी सवारी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337 अदद	49,366	21 गुना से अधिक

कवच प्रणाली का कार्यान्वयन:

1. कवच स्वदेश विकसित स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षा प्रणाली (एटीपी) है। कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन (एसआईएल-4) की आवश्यकता होती है।
2. यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर लोको पायलट को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने में सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को संरक्षित ढंग से चलाने में भी सहायता करता है।
3. यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। इस प्रकार प्राप्त अनुभव और निष्पक्ष संरक्षा मूल्यांकनकर्ता (आईएसए) द्वारा प्रणाली के निष्पक्ष संरक्षा मूल्यांकन के आधार पर, कवच संस्करण 3.2 की आपूर्ति के लिए 2018-19 में तीन फर्मों को अनुमोदित किया गया था।
4. कवच को जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया।
5. कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप शामिल हैं:

   क. प्रत्येक स्टेशन, ब्लॉक खण्ड पर स्टेशन कवच का संस्थापन।

   ख. पूरे रेलपथ की लंबाई में आरएफआईडी टैग का संस्थापन।

ग. समग्र खंड में दूरसंचार टावरों का संस्थापन।

घ. रेलपथ के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।

ङ भारतीय रेल पर चल रहे प्रत्येक रेल इंजन पर लोको कवच का प्रावधान।

6. दक्षिण मध्य रेल के 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 3.2 के संस्थापन और प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे और सुधार किए गए। अंततः आरडीएसओ द्वारा दिनांक 16.07.2024 को कवच विशिष्टि संस्करण 4.0 को अनुमोदित किया गया।

7. कवच 4.0 संस्करण में विविध रेल नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। यह भारतीय रेल की संरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अल्प अवधि के भीतर, भारतीय रेल ने स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षण प्रणाली विकसित की है, इसका परीक्षण किया गया और उसे संस्थापित करना शुरू कर दिया है।

8. कवच संस्करण 4.0 में किए गए प्रमुख सुधारों में अवस्थिति सटीकता में वृद्धि, बड़े यार्डों में सिगनल संबंधी पहलुओं की बेहतर जानकारी, ओएफसी पर स्टेशन-से-स्टेशन कवच इंटरफ़ेस और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से सीधा इंटरफ़ेस शामिल है। इन सुधारों के साथ, कवच संस्करण 4.0 को भारतीय रेल में बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना है।

9. 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के उपरांत, कवच संस्करण 4.0 को उच्च घनत्व वाले दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों को कवर करते हुए 2,633 मार्ग किलोमीटर पर सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है:

क्र.सं.	**रेलखंड**	**प्रगति (मार्ग कि.मी.)**
(1)	दिल्ली - मुंबई मार्ग: 1,423 मार्ग किलोमीटर	
i	तिलक ब्रिज - जंक्शन केबिन - पलवल - मथुरा - कोटा - नागदा रतलाम- वडोदरा - विरार खंड	1,327
ii	वडोदरा - अहमदाबाद खंड	96
(2)	दिल्ली - हावड़ा मार्ग: 1,210 मार्ग किलोमीटर	
i	चिपियाना-टूण्डला-कानपुर-सूबेदारगंज खंड	563
ii	कानपुर - लखनऊ खंड	71
iii	मिर्जापुर - डीडीयू (को छोड़कर) खंड	64
iv	पंडित दीन दयाल उपाध्याय (एफओसी) - भभुआ रोड खंड	50
v	सासाराम - फेसर खंड	43
vi	गया - सरमाटांड़ - निमियाघाट खंड	159
vii	छोटा अमबोना - बर्द्धमान - हावड़ा खंड	260

10. इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल के सभी स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम विकर्ण, उच्च घनत्व नेटवर्क और चिह्नित रेलखंडों को कवर करते हुए 21,794 मार्ग कि.मी. पर रेलपथ साइड कवच कार्यान्वयन कार्य शुरू किया जा रहा है।

11. भारतीय रेल के खंडों पर कवच प्रणाली की प्रमुख मदों के कार्यों की कुल प्रगति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**मदें**	**प्रगति**
i	ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना	11,547 कि.मी.

ii	दूरसंचार टावरों का संस्थापन	1,721 अदद
iii	स्टेशन डेटा सेंटर	1,009 स्टेशन
iv	ट्रैक साइड उपकरणों का संस्थापन	7,726 मार्ग कि.मी.
v	रेल इंजनों में कवच का प्रावधान	6,290 अदद

12. इसके अलावा, 7,190 रेल इंजनों और 1200 ईएमयू/एमईएमयू में कवच प्रणाली के संस्थापना के कार्य शुरू किए गए हैं।
13. सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय रेल के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में कवच पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 94,000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच प्रौद्योगिकी के विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें लगभग 57,000 लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट सम्मिलित हैं। यह पाठ्यक्रम इरिसेट के सहयोग से तैयार किया गया है।
14. कवच के स्टेशन उपकरण सहित रेलपथ साइड के प्रावधान की लागत लगभग 50 लाख रु. प्रति कि.मी. है और रेलइंजनों पर कवच प्रणाली के उपकरणों की व्यवस्था की लागत लगभग 80 लाख रु. प्रति रेलइंजन है।
15. जून 2026 तक कवच संबंधी कार्यों पर 3,875 करोड़ रुपए की निधि का उपयोग किया गया है। वर्ष 2026-27 के दौरान 2,066 करोड़ रुपए की निधि आबंटित की गई है। देशभर में कवच प्रणाली से संबंधित कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। कार्यों की प्रगति के अनुसार अपेक्षित निधि उपलब्ध कराई जाती है।

अग्नि संरक्षा उपाय:-

भारतीय रेल द्वारा उन सभी संभावित खतरों के निवारण, तैयारी, प्रतिक्रिया और बहाली के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में विभिन्न कारणों से आग लगने की घटना की संभावनाएं भी शामिल हैं।

भारतीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशनों पर, जिनमें महाराष्ट्र राज्य में स्थित स्टेशन भी शामिल हैं, किए गए महत्वपूर्ण अग्नि सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं:

1. रेलवे स्टेशनों पर आग लगने की स्थिति में उपयोग के लिए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।
2. रेलवे स्टेशनों पर आग लगने की स्थिति में उपयोग के लिए रेत और पानी से भरी बाल्टियाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
3. भारतीय रेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके अग्रणी कर्मचारी आपात स्थितियों की सम्हलाई के लिए हमेशा तत्पर रहें, इसके लिए उन्हें अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा कौशल और आपदा प्रबंधन के विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे स्टेशन प्रबंधक, रेलगाड़ी प्रबंधक (गार्ड), वाणिज्यिक-सह-टिकट लिपिक, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट आदि जैसे अग्रणी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों में एकीकृत किया गया है।
4. भारतीय रेल आपदा प्रबंधन संस्थान, एक विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थान है, जो अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, आघात प्रबंधन आदि के विषयों में नियमित पाठ्यक्रमों का संचालन करता है ताकि आपात स्थिति में पहले सहायता पहुंचाने वाले कर्मियों अर्थात गाड़ी चालक दल और

ऑन-बोर्ड कर्मी, जैसे कि रेल टिकट परीक्षक, वातानुकूलित सवारी डिब्बा कर्मी और अनुरक्षी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सके, जो आपात स्थिति 'गोल्डन आवर' में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

5. रेलवे स्टेशनों और नियंत्रण कक्षों के पदधारियों के लिए निकटतम फायर-ब्रिगेड, पुलिस, चिकित्सा सुविधाओं, एम्बुलेंस, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल आदि से संपर्क करने के लिए समुचित संचार प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। उनके फोन नंबर सभी संबंधित रेल प्राधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं।
6. बड़े रेलवे स्टेशनों पर रिले कक्ष और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कक्ष में स्वचालित फायर अलार्म लगाए जा रहे हैं।
7. शिरोपरि उपस्कर से आग लगने की स्थिति में शिरोपरि उपस्कर (ओएचई) की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद करने के लिए स्टेशन मास्टरों के लिए रेलवे स्टेशनों पर नियंत्रण फोन लगाए गए हैं।
8. आग लगने जैसी आपात स्थितियों में निकासी हेतु जनता को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है।
9. यात्रियों/जनता को ज्वलनशील वस्तुएं अपने साथ न ले जाने के महत्व के विषय में जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से उदघोषणाएं की जाती हैं।
10. बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की स्कैनिंग की जाती है।
11. यात्रियों द्वारा ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकने के लिए संवेदनशील अवधियों के दौरान अभियान चलाए जाते हैं।
12. विद्युत शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए स्टेशनों पर विद्युत प्रणालियों का नियमित अनुरक्षण किया जाता है। विद्युत पैनलों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है।
13. आपात स्थिति के दौरान जनता की निकासी में सहायता के लिए स्टेशनों पर निकास द्वारों को बेहतर रूप से चिह्नित किया गया है।
14. बड़े रेलवे स्टेशनों पर आग लगने की आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए सवारी डिब्बों में पानी भरने की सुविधा और पर्याप्त जल भंडारण प्रणाली उपलब्ध है।
15. रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर आग जलाकर खाना पकाने की अनुमति नहीं है।
16. रेलवे स्टेशनों और कार्यालय भवनों के भीतर और आसपास सभी विद्युत संस्थापनाओं की नियमित जांच/संरक्षा संबंधी अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारतीय रेल में आग से सुरक्षा में रेलगाड़ियों के डिजाइन, विनिर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के सभी चरण शामिल हैं। इस संबंध में विभिन्न उपाय किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय रेल में सभी सवारी डिब्बों में कम से कम दो अग्निशामक यंत्रों का प्रावधान।
2. विद्युत और रसोई यानों में आग लगने के संभावित क्षेत्रों में अग्नि संसूचन प्रणाली मुहैया कराई गई है।
3. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सवारी डिब्बों में अग्नि एवं धुआं संसूचन प्रणाली मुहैया कराई गई है।
4. रसोई यानों और विद्युत यानों में चरणबद्ध रूप से वॉटर मिस्ट प्रकार के अग्निशामक उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं।

5. सवारी डिब्बों में आग लगने की स्थिति में निकासी के लिए आपातकालीन खिड़कियों का प्रावधान।
6. बेहतर अग्नि संरक्षा के लिए सवारी डिब्बों में सीटों/बर्थ, पैनलों, फर्श, तापरोधन, शौचालय आदि के लिए वैश्विक अग्निरोधी मानदंडों के अनुसार अग्निरोधक सामग्री का उपयोग।
7. सवारी डिब्बों में अग्निरोधी ई-बीम केबल का उपयोग।
8. विद्युत सर्किटों में विद्युतीय संबंधी खराबियों/सर्ज से किसी प्रकार की हानि की रोकथाम के लिए फ़्यूज़, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) और मोटर सुरक्षा सर्किट ब्रेकर (एमपीसीबी) के रूप में सुरक्षा के विभिन्न साधनों का उपयोग।
9. विद्युतीय कैबिनेटों में एरोसोल आधारित अग्नि शमन प्रणाली का प्रावधान।
10. इसके अलावा, अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियों में नई पीढ़ी की सामग्री की फिटमेंट के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप सामग्री का उन्नयन नियमित रूप से किया जा रहा है।
11. आग से बचाव के लिए "क्या करें" और "क्या न करें" के बारे में यात्रियों को सूचित और सतर्क करने के लिए सभी सवारी डिब्बों में व्यापक जानकारी के लिए "अग्नि सूचना" प्रदर्शित करना। इनमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक न ले जाने, रेलगाड़ी के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध और दंड आदि के बारे में संदेश शामिल होते हैं।
12. सवारी डिब्बों में आग जलाकर खाना पकाने पर प्रतिबंध।
13. वंदे भारत के प्रत्येक डिब्बे में 4 आपातकालीन टॉक बैक यूनिट का प्रावधान है। इससे आवश्यकता पड़ने पर यात्री का रेलगाड़ी मैनेजर/लोको पायलट के साथ संप्रेषण सुविधाजनक होता है। वंदे भारत रेलगाड़ी में यात्री आपातकालीन अलार्म बटन प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक डिब्बे में आपातकालीन उपयोग के लिए ऐसे 4 पुश बटन दिए गए हैं।
14. रेल मदद नामक एक एकीकृत सहायता लाइन है, जिसे आपात स्थिति के दौरान सहायता प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा 139 नंबर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

हज़ूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर संरक्षा संबंधी उपाय:-

हज़ूर साहिब नांदेड़ स्टेशन को आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण और निकास संबंधी अवसंरचना से सुसज्जित किया गया है। त्योहारों और गर्मियों के मौसम जैसी व्यस्त अवधि के दौरान, स्टेशन पर रोलिंग भीड़ प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जाती है, जिसमें निर्धारित प्रतीक्षा क्षेत्र के माध्यम से पहुंच नियंत्रण, विस्फोटक संसूचना, तोड़फोड़-रोधक जांच, श्वान दस्तों की तैनाती, अतिरिक्त टिकट जांच कर्मियों और रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों की तैनाती शामिल है ताकि धूम्रपान रोधी उपायों का प्रवर्तन किया जा सके, किसी भी लावारिस/छूटे हुए सामान की जांच की जा सके तथा रेल सुरक्षा बल द्वारा सीसीटीवी का उपयोग करके निगरानी की जा सके।

व्यस्त अवधि के दौरान मंडल नियंत्रण के तहत वॉर रूम को सक्रिय रखा जाता है ताकि यात्रियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति का रियल टाइम में समाधान किया जा सके।

इन समन्वित प्रयासों से बड़ी संख्या में स्टेशन पर आने वाले तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और कार्यक्षम वातावरण सुनिश्चित किया जाता है।

******